भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2105
जिसका उत्तर मंगलवार 29 नवंबर, 2016 को दिया जाना है

"फेम स्कीम"

2105. कुमारी शोभा कारान्दलाजे:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऑटो उद्योग के प्रमुख संगठन सोसायटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल (एसआईएएम) ने सरकार से फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल (फेम) स्कीम के अंतर्गत परिव्यय में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है;
(ग) क्या एसआईएएम ने सरकार से इस स्कीम का विस्तार संपूर्ण देश में करने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(घ) क्या सरकार की फेम स्कीम के लिए दीर्घकालिक स्कीम और इससे संबंधित परिव्यय में वृद्धि करने की कोई योजना है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग): यद्यपि, फेम स्कीम के बारे में सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) के साथ समय-समय पर विचार-विमर्श किया गया है किन्तु, परिव्यय में वृद्धि करने अथवा इस स्कीम की कवरेज को बढ़ाने के लिए एसआईएएम से कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ): संपूर्ण फेम स्कीम को वर्ष 2020 तक की छह वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। तथापि, इस स्कीम का चरण-I 2 वर्ष की अवधि में अर्थात् 01 अप्रैल, 2015 से प्रारंभ होकर वर्ष 2015-16 और 2016-17 में कार्यान्वित किया जा रहा है।

चरण-I के प्राप्त परिणाम और इसमें हुए अनुभव के आधार पर, इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए स्टेकहोल्डर्स से प्राप्त इन्पुट्स तथा 31 मार्च, 2017 की अवधि के पश्चात् निधियों के आबंटन के आधार पर यथोचित समीक्षा की जाएगी।

******